18.03.2024 पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 1,2 03 व 8, 9 के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 4,5,8,10,11 के उपस्थित नही होने से दिनांक 11.7.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम पांसल प0ह0 पांसल तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1235, 1239, 1240, 1241, 1253, 3058, 3060 कुल किता 09 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि खातेदार ईकबाल पुत्र ईस्माईल मंसूरी के नाम संयुक्त खाते में दर्ज थी, जिसमें से अपना 1/18 हिस्सा दिनांक 10.5. 1995 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रार्थी के नाम विक्रय कर पंजीयन करवा दिया। इसके पश्चात खातेदार ईकबाल पुत्र इस्माईल मंसूरी मुसलमान से प्रार्थी क्रेता के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्तज नही है इसी दौरान खातेदार इकबाल मंसूरी की मृत्यु होने के पश्चात विरासत से वादग्रस्त आराजी विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज हो गई। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजियात को विपक्षी संख्या 03 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.4.2004 से विक्रस कर दी गई इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजी विपक्षी संख्या 03 के नाम दर्ज हो गई। प्रार्थीया वादग्रस्त आराजियात का प्रथम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.5.1995 से क्रेता होने से वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, सुविधा संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। चूकि वादग्रस्त आराजियात वर्तमान में विपक्षी संख्या 03 के नाम पर दर्ज है, जिससे वादग्रस्त आराजियात को अन्य को विक्रय एंव हस्तानान्तरण कर देंगे तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त ग्राम पांसल प0ह0 पांसल तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1235, 1239, 1240, 1241, 1253, 3058, 3060 कुल किता 09 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व विपक्षीगण इस आशय की जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात को विक्रव व अन्तरण नही करे, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा